



2026:AHC:16540

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19595 वर्ष 2025

करण सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 6 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: ऋषभ केसरवानी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: ए.एस.जी.आई., मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषभ केसरवानी की ओर से उपस्थित श्री श्रेय सिंह (एओआर संख्या ए/एस0342 वर्ष 2020) ने वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया है, जिसमें याचिकाकर्ता को 01/11/2023 से ब्याज सहित बकाया राशि के साथ ग्रेच्युटी राशि, पेंशन का रूपांतरण, पूर्ण पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति देय राशि का भुगतान करने का निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश की मांग की गई है, और याचिकाकर्ता के ग्रेच्युटी राशि, पेंशन का रूपांतरण, पूर्ण पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति देय राशि को 01/11/2023 से ब्याज सहित बकाया राशि के साथ भुगतान करने के दावे पर विचार करने का निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश की मांग की गई है, जिसमें अंतर्निहित दोष के कारण याचिकाकर्ता को नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई है।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. तदनुसार, उपर्युक्त छूट के साथ रिट याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



22 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।